अध्याय – 7
निष्कर्ष तथा सिफारिशें

7.1 निष्कर्ष

इरेडा विशेष रूप से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण करने वाला एक प्रमुख केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में तेज गति से उन्नति कर रहा है तथा इसने वित्तपोषण के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों को आकर्षित किया है। बाहय पर्यावरण में आए इन परिवर्तनों ने इरेडा के लिए नई चुनौतियां खड़ी की। लेखापरीक्षा ने पाया कि अक्षय ऊर्जा संसाधनों की कुल चालू क्षमता जो 10वीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में 52.83 *प्रतिशत* थी, जो इरेडा का शेयर 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 19.21 *प्रतिशत* तथा बाद में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 7.66 *प्रतिशत* तक रह गया। इस प्रकार, इरेडा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एक अग्रणी वित्तपोषण संस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में योग्य नहीं था।

यद्यपि इरेडा ने 2007-12 की अवधि के दौरान बाहय पर्यावरण से अभिमुख विभिन्न जोखिमों का पता लगाने में कम्पनी को सक्षम बनाने हेतु एक कॉरपोरेट योजना तैयार करने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति की थी तथापि योजना प्रभावी रूप से केवल कागजो में ही विद्यमान थी। विभिन्न गतिविधियां प्राप्त करने के लिए वर्णित निर्धारित समय सीमा का या तो अनुपालन नही किया गया या योजना अवधि के दौरान गतिविधियों को किया नहीं गया, समय 2012-17 हेतु बाद की कॉरपोरेट योजना को उनकी आवश्यकता के लिए अग्रेनीत किया गया है। इससे तथा प्रथम अवस्था में कॉरपोरेट योजना बनाने का उद्देश्य विफल हुआ। योजना के कार्यान्वयन को भी बीओडी स्तर पर मॉनीटर नहीं किया गया।

इसके प्रभाव में, एमएनआरई के साथ वार्षिक रूप से हस्ताक्षर किए जा रहे एमओयू ने एक मात्र आधार का गठन किया जिसके प्रति इरेडा ने अपनी उपलब्धियों को बेंचमार्क किया था। तथापि, एमओयू में निर्धारित लक्ष्य कॉरपोरेट योजना से प्राप्त नहीं किए गए तथा उससे पर्याप्त रूप से भिन्न थे। मंजूरियों और संवितरणों के लिए लक्ष्य प्रति वर्ष कम बताए गए थे क्योंकि इरेडा ने प्रत्येक वर्ष इन्हें निरंतर और विशेष रूप से ज्यादा बताया था। एनपीए के प्रति प्रभावी वसूलियां एमओयू में ज्यादा बताई गई थी।

परियोजनाओं को स्वीकृत करने में विलम्ब था। 2008-09 से 2012-13 के दौरान मंजूर सभी परियोजनाओं का लगभग 40 *प्रतिशत* तीन माह की निर्धारित सीमा से अधिक 66 दिनों के औसत

विलम्ब के पश्चात् मंजूर किया गये। यह दर्शाता है कि प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। 2008-09 से 2012-13 की समयावधि के दौरान प्राप्त किए गए ऋण आवेदनों के 65 *प्रतिशत* से अधिक को इरेडा द्वारा रद्द कर दिया गया।

इरेडा ने कुछ ऋण मामलों को मंजूर तथा मॉनीटर करते समय उचित परिश्रम का अवलोकन नहीं किया। मंजूर तथा वितरण से पहले क्षेत्र की अनिवार्य पूर्व जांच, आवश्यक प्रतिभूतियों तथा अपेक्षित प्रमोटरों का सहयोग प्राप्त करना, ऋणकर्त्ता के पूर्ववर्ती का सत्यापन करना तथा नामित निदेशकों/ऋणदाता के इंजीनियरों की नियुक्ति करना जैसे निर्धारित नियंत्रण उपायों को नहीं किया गया। इसमें ऐसे मामले थे जहाँ इरेडा ने क्रेडिट प्रकटन हेतु एक मामले में अपने निवल मूल्य के 56 *प्रतिशत* तक ऋण मंजूर करने में भी अपने मानदण्डो का उल्लंघन किया।

यद्यपि इरेडा का एनपीए इन वर्षों में कम हुआ है तथापि, इसका स्तर आरईसी तथा पीएफसी जैसी अन्य विद्युत वित्तपोषण कम्पनियों की तुलना में अभी भी काफी अधिक है। यह इरेडा की क्रेडिट रेटिंग तथा बदले में बाजार से इसकी कम लागत निधियों को जुटाने की क्षमता को प्रभावित करेगा।

इरेडा ने 2008-09 से 2012-13 के दौरान ओटीएस के तहत 29 मामलों का निपटान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 208.85 करोड़ की वसूली हुई तथा मूलधन तथा ब्याज की छूट को बट्टे खाते में डालने के कारण ₹ 237.85 करोड़ अर्थात 53.25 *प्रतिशत* की कुल राशि छोडी गई। यद्यपि इसने कम्पनी के नकदी स्थिति में सुधार तथा 2008-09 में 13.34 *प्रतिशत* से 2012-13 में 3.86 *प्रतिशत* तक एनपीए कम करने में काफी मदद की तथापि, इसके परिणामस्वरूप अधिक वित्तीय हानि हुई है। जब एक परियोजना इरेडा के नियंत्रण से भिन्न कारको के कारण एनपीए बन सकती है, लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले पाए जहाँ रेड फलेग पर ध्यान नहीं दिया गया था और मामले एनपीए बन गए थे। यहां ऐसे मामले देखे गए जहां परियोजनाओं की व्यवहार्यता को उचित प्रकार से निर्धारित नहीं किया गया था इसके परिणामस्वरूप परियोजना की विफलता तथा ओटीएस के तहत निपटान हुआ। निर्धारित दिशा निर्देशों के उल्लंघन में स्वैच्छिक चूककर्त्ताओं के बावजूद भी ओटीएस योजना के लाभों को अनियमित रूप से बढाया गया था जो अपने ऋणकर्त्ताओं के बीच भुगतान न करने की प्रवृति को बढा सकता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि इसमें ऐसे मामले थे जहाँ इरेडा आवश्यक संपार्शिर्वक सुनिश्चित करने, स्वीकृत ऋणों के लिए प्रोत्साहको का सहयोग, परियोजना की अपेक्षित जांच करने या यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्य करने में विफल हुआ जहाँ कि क्रेडिट प्रकटन सीमाएं अधिक नहीं थी।

एमएनआरई द्वारा पूंजीगत/ब्याज सब्सिडी की मंजूरी का उद्देश्य स्वीकृत सब्सिडी के बदले में आरई परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत सृजन सुनिश्चित करना था। निर्दिष्ट समयवधि में आरई परियोजनाओं की निरन्तरता को मॉनीटर करने के लिए इरेडा में कोई तंत्र नहीं था जिसके अभाव में

चूककर्ताओं को सब्सिडी की अनुचित जारी करने को खारिज नहीं क्या जा सकता। परियोजनाओं जिन्हें बाद में 100 *प्रतिशत* जीवाश्म इंधन के उपयोग हेतु परिवर्तित किया गया को सब्सिडी लाभ दिए गए थे। लेखापरीक्षा ने ऐसे मामलें पाए जहाँ एमएनआरई परिचालन की निर्धारित अवधि तक आरई परियोजनाओं के जारी न रहने के मामले में भी सब्सिडी की वसूली न करने के लिए इरेडा के साथ सहमत हुआ। इसने उस उद्देश्य को कमजोर किया जिसके लिए योजना बनाई गई थी।

पीआईडीएमओएस डाटाबेस में डाटा सत्यानिष्ठा तथा पूर्णतया का अभाव था तथा इसलिए इसे एक विश्वसनीय प्रबंधन उपकरण नहीं माना जा सकता। श्रमबल का विशेष रूप से कार्यकारी सवंर्ग में अभाव परिचालन की दक्षता में बाधा डाल सकता है।

7.2 सिफारिशें

इस रिपोर्ट के विभिन्न अध्यायों में की गई सिफारिशों को नीचे संक्षेप में दिया गया है:

1. *इरेडा के परिचालन की कुशलता तथा प्रभावकारिता को सुधारने तथा नए व्यवसाय अवसरों का पता लगाने के लिए इरेडा का निदेशक मंडल कॉरपोरेट योजना के कार्यान्वयन में समन्वय तथा इसकी निगरानी करे।*

2. *एमएनआरई के साथ हस्ताक्षरित वार्षिक एमओयू में निर्धारित लक्ष्य यथार्थवादी तथा कॉरपोरेट योजना के अनुसार होने चाहिए और एमएनआरआई के परिणामी बजट में उचित रूप से परिलक्षित होने चाहिए।*

3. *नई तथा चालू परियोजनाओं की गणना करने योग्य भौतिक आयाम एमओयू में परिलक्षित होने चाहिए।*

4. *निर्धारित ऋण जोखिम सीमाएं पार नहीं होनी चाहिए।*

5. *इरेडा को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण की मंजूरी देते समय पर्याप्त सावधानी के साथ उचित परिश्रम किया जाए। अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण दिशा-निर्देशों का सही तरीके से पालन किया जाना चाहिए; विचलन केवल अपवादात्मक मामलों में पर्याप्त स्पष्टीकरण के साथ किया जाना चाहिए।*

6. *गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के स्तर को कम करने के लिए बकाया ऋणों की अच्छी तरह से निगरानी की जानी चाहिए।*

7. इरेडा को सब्सिडी की मंजूरी के बदले में आरई परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत सृजन सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं की उनके प्रारंभ के पश्चात निर्धारित अवधि हेतु निरन्तरता को मॉनिटर करने के लिए एक तंत्र का विकास करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे सभी मामलों में सब्सिडी वापस लेनी चाहिए जहाँ परियोजनाएं निर्धारित अवधि में नहीं चलती क्योंकि यह योजना के उद्देश्य को कमजोर करता है।

8. आन्तरिक नियंत्रण तंत्र में कमजोरी का निवारण किया जा सकता है।

(ए.के. सिंह)
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(रिपोर्ट केंद्रीय और स्थानीय निकाय)

नई दिल्ली
दिनांक: 01 अप्रैल 2015

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 06 अप्रैल 2015